

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.28(5) परावि/प्र.2/ग्रा.से/स्थाना-पद/2015/2374 जयपुर, दिनांक-17/06/15

:: आ दे श ::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 (8-क) एवं राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 290(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंचायत समितियों में कार्यरत निम्नलिखित ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक/राजहित में उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समितियों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क.स.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	कहाँ से (पं.स.)	कहाँ को (पं.स.)	वि.वि.
1	2	3	4	5
1	रामेश्वर सैन	अटरू (बारां)	सांगोद (कोटा)	
2	कृष्ण कुमार	खानपुर (झालावाड़)	ईटावा (कोटा)	
3	धर्मेन्द्र	नवलगढ (झुन्झुनू)	रियांबडी (नागौर)	
4	ओमप्रकाश शर्मा	शाहपुरा (भीलवाडा)	सांगानेर (जयपुर)	
5	राम रतन भीणा	छबडा (बारां)	अन्ता (कोटा)	
6	जमना लाल खटीक	डूंगला (चित्तोडगढ) से स्थानान्तरणाधीन उनियारा(टोंक)	भदेसर (चित्तोडगढ)	
7	नारायण सिंह सक्सैना	सलूमबर (उदयपुर)	बागीदौरा (बांसवाडा)	
8	राकेश कुमार	घाटोल (बांसवाडा)	सलूमबर (उदयपुर)	
9	सरदार मल राव	जवाजा (अजमेर)	हुरडा (भीलवाडा)	
10	किशन लाल	फतेहपुर (सीकर)	बीकानेर (बीकानेर)	
11	शिव करण नागर	तालेडा (बूंदी)	सांगोद (कोटा)	
12	महेन्द्र सिंह	बयाना (भरतपुर) से छबडा (बारां) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर बयाना (भरतपुर) यथावत	
13	कमलेश प्रजापति	अन्ता (बारां)	लाडपुरा (कोटा)	
14	जोधराज गुर्जर	केशवरायपाटन (बूंदी)	लाडपुरा (कोटा)	
15	नन्दराम शर्मा	नदबई (भरतपुर) से राजाखेडा (धौलपुर) स्थानान्तरणाधीन	निरस्त कर यथावत पं. स. नदबई (भरतपुर)	
16	जगमाल	उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)	श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17	अरविन्द साहू	पिडावा (झालावाड़)	लाडपुरा (कोटा)	


18	हमीर खां	बालोतरा (बाडमेर)	फलोदी (जोधपुर)
19	हिमताराम	समदडी (बाडमेर)	लूणी (जोधपुर)

नोट :-1. उक्त ग्राम सेवकों को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण योग काल देय होगा ।

2. यदि कोई ग्राम सेवक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है, तो ऐसे ग्राम सेवक पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा ।
3. उक्त ग्राम सेवकों में से यदि कोई ग्रामसेवक पदौन्नत हो गया है तो उस पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा ।
4. उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में संबंधित पंचायत समिति 7 दिवस में ग्राम सेवक के पदस्थापन आदेश जारी करें एवं संबंधित पंचायत समिति द्वारा पदस्थापन आदेश जारी होने पर तत्काल नवपदस्थापित पंचायत समिति हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 4-जिला कलक्टर, संबंधित ।
- 5-मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
- 6-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित ।
- 7-प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय ।
- 8-संबंधित ग्रामसेवक को पालनार्थ ।
- 9-आदेश पत्रावली ।


अतिरिक्त आयुक्त